जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)–यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर–342003
फोन न. :0291-2742232 फैक्स न. : 0291-5106031
ईमेल :– caoar@yahoo.com / caobrju@gmail.com Web site : www.jdvvnl.com

क्रमांक एफ.1 ( )/ जोविविनिलि/ मु.ले.अ. (ब.. एवं रा.)/ले. (स. एवं नि.)/प्रे.2247 दिनांक 6/3/18

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि उपापन इकाई **(Procuring Entity)** के स्तर पर कतिपय उपापन नियमों **(Procurement Rules)** की पालना किये बिना सामग्री/सेवा/वर्क्स (निर्माण) हेतु उपापन कर लिए जाते हैं। ऐसे उपापन महालेखाकार व अंकेक्षण शाखा द्वारा आक्षेपित किये जाते हैं। महालेखाकार व अंकेक्षण शाखा द्वारा की जाने वाली प्रतिकूल आपत्तियों से आरोपित/अपचारी अधिकारियों/कर्मचारियों को बचाने के लिये उच्च अधिकारियों द्वारा प्रकरण कार्योतर सहमति **(Ex-post-facto approval)** हेतु निगम मुख्यालय को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में उपापन के नियम तथा प्रक्रिया निर्धारित है।

अतः संबंधित उपापन इकाइयों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि उपापन नियमों **(Procurement Rules)** की पालना एवं सक्षम स्वीकृति के बिना किसी भी परिस्थिति में उपापन की कार्यवाही निष्पादित नहीं की जाये। निगम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेगी जिनमें नियमों की पालना एवं सक्षम स्वीकृति के बिना सामग्री, निर्माण सेवा उपापन की कार्यवाही की जाती है। निगम द्वारा कार्योतर सहमति **(Ex-post-facto approval)** दिया जाना संभव नहीं होगा।

तथापि, ऐसे प्रकरण जिनमें उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन नियमों **(Procurement Rules)** की पूर्णतः पालना नहीं की है, उन प्रकरणों की उच्च अधिकारी अपने स्तर पर समीक्षा कर उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध सम्बद्ध नियमों में कार्यवाही निष्पादित करेंगे। तत्पश्चात्, ऐसे प्रकरणों को अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को यथोचित निर्णयार्थ संदर्भित करेंगे।

निदेशक (वित्त)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्रीमान सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
2. श्रीमान मुख्य लेखाधिकारी ( ), जोधपुर डिस्कॉम,......................।
3. श्रीमान कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
4. श्रीमान मुख्य अभियन्ता/संभागीय मुख्य अभियंता (............................), जोधपुर डिस्कॉम,...................।
5. श्रीमान प्रावैधिक सहायक–प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (.................), जोधपुर डिस्कॉम,.......................।
7. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (आई. टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ,जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी (..............), जोधपुर डिस्कॉम,.................।
9. श्रीमान अधीशाषी अभियन्ता (.................), जोधपुर डिस्कॉम,......................।
10. श्रीमान लेखाधिकारी (..............), जोधपुर डिस्कॉम,................।
11. श्रीमान सहायक लेखाधिकारी (..............), जोधपुर डिस्कॉम,................।
12. सहायक अभियंता (.....................), जोधपुर डिस्कॉम,.......................।

निदेशक (वित्त)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

Scanned by CamScanner